सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. **NCST/DEV-1045/MH/19/2022-RO-BH** दिनांक: **02.07.2024**

सेवा में,

श्री अजय वैद्य,
प्रशासक तथा आयुक्त,
भिवंडी निजामपुर सिटि म्यूनिसिपल कार्पोरेशन,
पुराना एसटी स्टैंड, नई बिल्डिंग, आनंद दिघे चौक,
राजीव गांधी फ्लाईओवर के सामने, भिवंडी,
ठाणे, महाराष्ट्र-421302
ई-मेल : bncmc.cd@gmail.com

विषय: महानगरपालिका भिवंडी द्वारा आवेदक को कथित रूप से झूठे प्रकरण में फँसाने एवं आवेदक द्वारा किये गये कार्य की राशि का भुगतान नहीं करने के सम्बंध में श्री विजय नारायण भोईर, मु. पहारे, पो. दिघाशी, भिवंडी, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 11.11.2022.
संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र नोटिस दिनांक 03.11.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री जाटोतु हुसैन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 09.07.2024 को अपराहन 12:20 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय सदस्य महोदय के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वैबसाइट पर अपलोड हेतु।